

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: the 30-09-15

NOTIFICATION

No. F. 8(9)/2011/DAM/MR/ 225) . – In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws made and adopted by the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh, Delhi and confirmed by the Director are hereby notified as under:

“BYE-LAWS”

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh hereby makes the following Bye-Laws further to amend the Najafgarh Marketing Committee, Bye-Laws, 2004 as follows, namely :-

Short title and Commencement. -

(i) These Bye-Laws may be called the Najafgarh Marketing Committee (Amendment) Bye-Laws, 2015 (II).

(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 53. - In the Najafgarh Marketing Committee, Bye-Laws, 2004, in Bye-Law No. 53, rate of market service fee and incidental charges to be paid by the seller and purchaser shall be as under:-

S. No.	Particulars of Market Charges	Amount payable in (Rs.) (Per Bag)
'A' – Market service charge payable by the seller:-		
1.	Unloading (all commodities)	Rs.2.00 (Two rupees)
2.	Jharai	Rs.2.00 (Two rupees)
3.	Tulai, Tulai and storage in godown (unsold commodities)	Rs.2.50 (Two rupees fifty paise)
'B' – Market service charge payable by the purchaser:-		
1.	Loading	Rs.3.00 (Three rupees)
2.	Dhulai (Cartage charges in rehari etc. from one point to another point in the entire principal yard)	Rs.5.50 (Five rupees fifty paise)
3.	Making Dara i.e. mixing of different varieties of produce refilling into bags, weighing, stitching and loading or stocking	Rs.11.00 (Eleven rupees)
4.	Loading (from shop)	Rs.3.00 (Three rupees)
5.	Marka Charges	Rs.0.50 (Fifty paise)
6.	Stitching	Rs.0.70 (Seventy paise)
7.	Commission/Brokerage	2% (Two rupees per hundred rupees)
8.	Arhat	1.50% (One rupees fifty paise per hundred rupees)
9.	Market fee	@ 1% at advelorum basis

(V. P. RAO)

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8 (9)/2011/DAM/MR/2252-66

Dated: 30-09-15

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.



(V. P. RAO)

**SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI**

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)
कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 30-09-15

अधिसूचना

सं0फा0 8 (9)/2011/डी.ए.एम./एम.आर./225। - दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

उपविधियाँ


दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (1), (2) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली, नजफगढ़ विपणन समिति उपविधियाँ, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) ये उपविधियाँ नजफगढ़ विपणन समिति (संशोधन) उपविधियाँ, 2015 (11) कही जायें।
- (2) ये तत्काल लागू होंगी।

उपविधि संख्या - 53 का संशोधन- नजफगढ़ विपणन समिति उपविधियाँ, 2004 की उपविधि संख्या 53 में विक्रेता एवं क्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क एवं प्रासंगिक सेवा शुल्क की दर निम्नलिखित होंगी :-


क्र.सं.	बाजार सेवा शुल्क का विवरण	देय राशि (रुपये में) (प्रति नग)
क	विक्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क:-	
1.	उतराई (सभी उपज)	2.00
2.	झराई	2.00
3.	तुलाई, तुलाई और गोदाम में रखना (बिना बिकी उपज)	2.50
ख	क्रेता द्वारा देय बाजार सेवा शुल्क:-	
1.	लदान	3.00
2.	ढुलाई (पूरे मुख्य मण्डी परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेहड़ी आदि का ढुलाई प्रभार)	5.50
3.	दड़ा बनाना अर्थात् अलग किस्म के उत्पादों को मिलाना, पुनः बेगों में भरना, वजन करना, सिलना, लदान करना या संग्रहण	11.00
4.	लदान (दुकान से)	3.00
5.	मार्का चार्ज	0.50
6.	सिलाई	0.70
7.	कमीशन/ दलाली	2% (प्रति एक सौ पर दो रुपये)
8.	आढ़त	1.50% (प्रति एक सौ पर डेढ़ रुपये)
9.	मण्डी शुल्क	यथा मूल्य आधार पर 1%


(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8 (9)/2011/डी.ए.एम./एम.आर./2252-66
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 30-09-15

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 7 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, नई दिल्ली को सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के द्वारा।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को इस निवेदन के साथ कि दिल्ली असाधारण गजट खंड-4 में अधिसूचना प्रकाशित करा दी जाए और उसकी प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाने के व्यवस्था कर दी जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली एवं पशु विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।


(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार